बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र010 / ख0वि0अधि0–06 / 2017 5765 खाद्य, पटना / दिनांक– 14-11-2017

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान / चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना एवं मार्ग निर्देश।

महाशय,

खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0 5(3)/2017-PY. I दिनांक 09.08.2017 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2017–18 के लिए राज्यवार धान / सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति हेतु समय एवं लक्ष्य का निर्धारण कर सूचित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 में राज्य अंतर्गत धान की उत्पादकता अधिक होने के कारण यह आवश्यक है कि राज्य के पंजीकृत किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति किये जाने की विशेष व्यवस्था की जाय। साथ ही यह सुनिश्चित हो कि क्रय पंजीकृत किसानों से ही हो एवं व्यापारियों या बिचौलियों की संलिप्तता किसी भी स्थिति में न हो। उल्लेखनीय है कि राज्य अंतर्गत धान की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के अंतर्गत सम्पन्न की जा रही है, ऐसी स्थिति में समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य माना जाय तथा पूर्व वर्ष की भाँति खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 अंतर्गत भी अधिक से अधिक किसानों से उनके उत्पादन का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की जाय। राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। पैक्स तथा व्यापार मंडल अधिप्राप्ति धान का मिलिंग **कराकर केवल तैयार सी0एम0आर0 राज्य के नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र पर जमा करेंगें। पैक्स / व्यापारमंडल के क्रय केन्द्रों द्वारा अधिप्राप्ति धान का मिलिंग बिहार राज्य खाद्य निगम (नोडल एजेन्सी) से ऑनलाईन पंजीकृत / एकरारनामित मिल (गैर प्रमादी) के माध्यम से कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा कराया जायेगा। वैसे जिले जहाँ मिलरों की संख्या एवं उनकी कुटाई की क्षमता अधिप्राप्ति धान के परिप्रेक्ष्य में समानुपातिक रूप से कम हो, वैसी स्थिति में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा मिलरों की मिलिंग क्षमता एवं अधिप्राप्ति धान का आकलन जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर कर करेंगे तथा बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से क्षमता के अतिरिक्त धान की कुटाई हेतु अग्रिम सी0एम0आर0 व्यवस्था के तहत धान उपलब्ध करायेंगे।** उक्त प्राप्त सी0एम0आर0 (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार के अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एवं खेती करने वाले किसानों से धान अधिप्राप्ति एवं पैक्सों और व्यापार मंडलों से अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सी0एम0आर0 प्राप्ति की अवधि निम्न प्रकार होगी :–

1	साधारण धान	1550/– रू0 प्रति क्वींटल
2	धान (ग्रेड–'ए'	1590/– रू0 प्रति क्वींटल
3	धान अधिप्राप्ति की अवधि	दिनांकः–15.11.2017 से 31.03.2018 तक
4	सी0एम0आर0प्राप्ति की अवधि *	दिनांक 15.11.2017 से 31.07.2018 तक

*पैक्सों एवं व्यापार मंडलों से सी0एम0आर0 की प्राप्ति 30.06.2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा एवं विशेष परिस्थिति में 31.07.2018 तक अवधि विस्तारित की जायेगी।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पंजीकृत गैर प्रमादी मिलर के माध्यम से तैयार कराकर तथा उसकी गुणवता की जॉचोपरान्त प्राप्त कर उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है।
- किसानों से धान क्रय की कार्रवाई पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जाना है।
- गत वर्ष की भांति पैक्स/व्यापार मंडल अधिक प्रभावी रूप से धान अधिप्राप्ति के साथ–साथ राज्य खाद्य निगम द्वारा पंजीकृत (गैर प्रमादी) मिल, जो जिला टास्क फोर्स समिति द्वारा अनुमोदित हो, से ही क्रय धान का शत प्रतिशत मिलिंग कराकर केवल सी0एम0आर0 निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र में जमा करेगी।
- पैक्स/ व्यापार मंडल द्वारा चयनित एवं एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारन्टी के रूप में अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त अग्रिम सी0एम0आर0 के समानुपातिक अधिप्राप्ति धान मिलों को उपलब्ध कराया जायगा। पुनः धान के समानुपातिक सी0एम0आर0 प्राप्त करने के पश्चात् धान की आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जायगा ताकि किसी भी परिस्थिति में अधिक धान मिलरों के पास न रहे एवं पूववर्ती समय में आयी समस्या उत्पन्न न हो।
- वैसे जिले जहॉ मिलरों की संख्या एवं उनकी कुटाई क्षमता अधिप्राप्ति धान के परिप्रेक्ष्य में समानुपातिक रूप से कम हो, वैसी स्थिति में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा मिलरों की मिलिंग क्षमता एवं अधिप्राप्ति धान का आकलन जिला टास्क फोर्स की बैठक आयाजित कर करेंगे तथा बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से क्षमता के अतिरिक्ति धान की कुटाई हेतु अग्रिम सी0एम0आर0 व्यवस्था के तहत धान उपलब्ध करायेंगे।
- जो किसान अपनी जमीन पर खेती नही करते है, वैसे किसानों के ऑन–लाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फाटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त की जाय एवं वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के उपरांत ऑन–लाईन पंजीकरण करा सकते है। ऐसे किसानों का आवेदन का सत्यापन हेतु जिला स्तर/प्रखंड स्तर /पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापन एवं ऑन–लाईन पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जायेगी, ताकि किसी भी प्रकार की फर्जी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- किसानों से धान का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतम सीमा 150 (एक सौ पचास) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पाये।
- वैसे किसान जो दूसरे के जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा

ऑन–लाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 50 क्वी0 धान की अधिप्राप्ति की जायेगी।

- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसानों से धान क्रय किया जायेगा। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाईन सॉफटवेयर पर किसान का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा, जिसका स्क्रीनिंग कराकर वेबसाईट पर अपलोड होगा। छुटे हुए किसानों/संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रो/प्रखंड के माध्यम भी किया जायेगा, जिसमें किसानों के जमीन से संबंधित कागज एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित एवं सहकारिता विभाग द्वारा सत्यापित कराकर क्रय केन्द्रों एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जो उसका सत्यापन कर **Authenticate** करेंगें।
- राज्य में गठित सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल धान क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील रहेंगें। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ उनकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगीं ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो।
- पंजीकृत किसानों से क्रय किये गये धान का मूल्य पंजीकृत किसानों को धान के विरूद्ध पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा **RTGS/NEFT** के माध्यम से क्रय के बाद तत्काल (48 घन्टों के अन्दर) भुगतान की व्यवस्था की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का बकाया नहीं रखा जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्त धान के समतुल्य सी0एम0आर0 जमा करते समय पंजीकृत किसानों को क्रय धान के विरूद्ध **RTGS/NEFT** के माध्यम से किये गये भुगतान के साक्ष्य (**Advice**) के आधार पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रवर्त्तन प्रमाण पत्र के आधार पर निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की राशि कमीशन सहित भुगतान किया जायेगा।
- खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत अधिप्राप्ति धान का मिलिंग कराकर समतुल्य सी0एम0आर0 जमा नही किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल/राईस मिल को अविलंब चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई किया जाय।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का कार्य बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा राज्य सरकार के निर्णयानुसार नोडल एजेन्सी के रूप में करती है। धान अधिप्राप्ति से सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है।
- *पैक्स/व्यापार मंडल वायदा आधारित धान का क्रय किसी भी परिस्थिति में नही करेंगे।* साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित सी0एम0आर0 की मात्रा प्रतिवेदित नही हो। पैक्स/व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ सी0एम0आर0 गोदामों का भी भौतिक सत्यापन सुनिश्चित की जाय एवं प्रतिवेदित धान की मात्रा के आलोक में समतुल्य सी0एम0आर0 की शत–प्रतिशत मात्रा मिलिंग कराकर निर्धारित समय–सीमा के पूर्व सी0एम0आर0 गोदामों में जमा करते हुए तत्संबंधी अंतिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य निगम को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- धान अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से सम्पन्न होगा एवं Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। जिलों द्वारा धान अधिप्राप्ति का दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा। साथ ही उक्त दैनिक प्रतिवेदन की एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- नोडल एजेन्सी के रूप में बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति सॉफट्वेयर के माध्यम से धान क्रय, भुगतान एवं सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य चरणबद्ध रूप में सम्पन्न करेगी। इस प्रकार

अधिप्राप्ति की सारी प्रकिया e-procurement software द्वारा सम्पादित किया जायगा।

- बिहार राज्य खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेगा कि सी0एम0आर0 की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके।
- *पूर्व की भाँति बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा स्थापित सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर प्रति लॉट 270 क्वीं0 सी0एम0आर0 की प्राप्ति किया जायगा ।*
- *विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवरनेन्स की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रकिया–धान क्रय, भुगतान, CMR जमा आदि Computer Software के माध्यम से होगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा **RTGS/NEFT** प्रक्रिया अंतर्गत जिला को भुगतान हेतु **PFMS** में नामित खातों से राशि आवंटित किया जायेगा।*

3. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलंब कर ली जाय।

(I) लक्ष्य का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत राज्य में धान की उत्पादकता अधिक होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्व खरीफ विपणन मौसम की भाँति भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य को अंतिम सीमा नही मानी जाय एवं राज्य के किसानों से अधिक से अधिक निर्धारित सीमा अंतर्गत उनके द्वारा उत्पादित धान की अधिप्राप्ति की जाय।

बतौर नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम का पैक्स/व्यापारमंडल से सिर्फ सी0एम0आर0 प्राप्त करने का दायित्व होगा। पैक्स एवं व्यापार मंडल के क्रय केन्द्रों पर ऑनलाईन पंजीकृत किसानों से ही धान क्रय करने की व्यवस्था रहेगी। पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा निर्धारित धान के लक्ष्य के विरूद्ध क्रय धान के समतुल्य सी0एम0आर0 की आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में की जायेंगी। राज्य खाद्य निगम इस वर्ष अतिरिक्त सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करेगी, ताकि पैक्सों को सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई न हो। इस कार्य हेतु निगम के पास उपलब्ध बड़े गोदामों को चिन्हित कर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

खरीफ विपणन मौसम, 2017–18 अंतर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य न्यूनतम एवं सांकेतिक है, किसानों के हित में इससे अधिक धान अधिप्राप्ति करने हेतु जिला स्वतंत्र है। आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर प्रखंडवार/पंचायतवार निर्धारित करें, ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके।

पैक्सवार/व्यापार मंडलवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला अंतर्गत धान उत्पादन की वास्तविक आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक नहीं हो।

(II) क्रय केन्द्रों का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2017–18 अन्तर्गत किसानों से धान हेतु क्रय मुख्य रूप से **पंचायत स्तर पर** पैक्स एवं **प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल** द्वारा एक–एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में राईस मिल के परिसर में धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों का निर्धारण नही किया जायेगा। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता (पैक्स/व्यापार मंडल) विभाग की है। सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिला अंतर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं :–

❖ क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण

सूचना का बैनर/दीवार अभिलेखन।

- ❖ किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण।
- ❖ क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
- ❖ माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
- ❖ Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
- ❖ Blower/Drier की व्यवस्था।
- ❖ प्रति दिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची जिलें के वेबसाईट/पैक्स/व्यापरमंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
- ❖ पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
- ❖ माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- ❖ पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
- ❖ केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
- ❖ विहित प्रक्रिया के अनूरूप पंजियों का संधारण।
- ❖ किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से अविलम्ब (48 घंटों के अन्दर) भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।

- **सहकारिता विभाग द्वारा किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील किये जाने वाले पैक्सों/व्यापार मंडलों के स्तर पर गोदाम की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की होगी। पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान के विरुद्ध अग्रिम सी0एम0आर0 प्राप्त कर मिलरों को धान उपलब्ध कराया जाएगा। वैसे गोदाम जहाँ पहुँच पथ की व्यवस्था सुगम नहीं है, उन गोदामों को चिन्हित कर संबंधित जिला पदाधिकारी आपदा मोड़ में पहुँच पथ तैयार कराकर नव निर्मित गोदामों की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे।**
- सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि आपके जिलों में उपर्युक्त तैयारियों के साथ माह 15 नवम्बर 2017 से धान अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाय।
- **पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान उपलब्ध कराने वाले सभी कृषकों को धान प्राप्ति के उपरान्त प्राप्ति रसीद एवं राशि भुगतान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे।**
- **पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन/MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखण्ड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था अनिवार्य होगा।**
- **अधिप्राप्ति अवधि (31.03.18 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में धान क्रय का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ववत् बिना चूक के भेजेंगें एवं उसका संयुक्त भौतिक सत्यापन (विडियोग्राफी सहित) जी0पी0एस0 आधारित फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी क्रय केन्द्रों से ही अपलोड करेंगें एवं समेकित कराकर प्रतिवेदन अधिकतम 10 दिनों के अन्दर तक सहकारिता विभाग, निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**
- **पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा सी0एम0आर0 का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम सी0एम0आर0 गोदाम में स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सी0एम0आर0 की आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगें।**
- *राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों से अधिप्राप्ति धान की मात्रा के समतुल्य सिर्फ सी0एम0आर0 की प्राप्ति की जायगी।सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रो पर सी0एम0आर0 प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होगा :–*

- *पूर्व की भाँति प्रति लॉट 270 क्वीं0 सी0एम0आर0 की प्राप्ति किया जायगा।*
- *प्रत्येक सी0एम0आर0 प्रभारी पैक्सवार प्रति लॉट प्राप्त चावल की सूचना Automatic Alert SMS के माध्यम से जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जायगा ।*
- *पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा जमा करने हेतु लाए गए सी0एम0आर0 का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना एवं अपलोड करना तथा अभिलेख के रुप में संधारित किया जायगा ।*
- *प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले सी0एम0आर0 का अनिवार्य रुप से ऑनलाईन प्रविष्टी सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना ऑनलाईन प्रविष्टी के सी0एम0आर0 की प्राप्ति नहीं की जायगी।*
- *सी0एम0आर0 के निर्गमन में "प्रथम आगत–प्रथम निर्गत" सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जायगा।*

(III) भंडारण की व्यवस्था

अधिप्राप्ति धान भण्डारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम एवं सभी सी0एम0आर0 गोदाम अधिसूचित होंगें। सभी अधिसूचित गोदामों की सूची अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर दर्ज रहेगी तथा सभी गोदामों का फोटो अपलोडेड रहेगा। सभी अधिसूचित गोदामों का **Mapping** (अक्षांश/देशान्तर) भी सूची में अंकित रहेगा ताकि गोदाम के सही **Location** की पहचान आसानी से हो सके। *धान अधिप्राप्ति हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले जिलावार गोदामों को सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित करना सुनिश्चित किया जायगा।*

- जिलों में पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र एवं उसके साथ सम्बद्ध गोदामों/बिहार राज्य भंडार निगम/बिहार राज्य खाद्य निगम के उपलब्ध गोदामों को धान अधिप्राप्ति के लिए प्रयोग में लाने हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम जिलावार गोदामों को अधिसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

- *सभी सी0एम0आर0 हेतु उपयोग में लिये जाने वाले गोदामों को अवशेष भंडार शून्य (Zero Physical Verification) के पश्चात उक्त गोदामों का विडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात ही सी0एम0आर0 प्राप्त किया जायेगा।*

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रागंण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय। तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा।

- पैक्स एवं व्यापार मंडल के धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :–
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था एवं डनेज मटेरियल की उपलब्धता।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
  - ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
  - ❖ घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।